

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक: 377/स.सा.प्र.वि./2020
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/08/2020


1. समस्त संभागायुक्त
2. समस्त कलेक्टर

विषय:- राज्य के भीतर एवं अन्तरराज्यीय आवागमन हेतु ई-पास के उपयोग के संबंध में।
संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्र. 288 दिनांक 31.05.2020

—00—

राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित आदेश के माध्यम से पूर्व में अन्तरराज्यीय एवं राज्य के भीतर आवागमन हेतु ई-पास प्राप्त करने पर ही अनुमति दी गई थी। उक्त निर्देश में संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- (1) अन्तरराज्यीय एवं राज्य के भीतर आवागमन हेतु ई-पास की अनिवार्यता नहीं होगी।
- (2) कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु स्वैच्छिक रूप से ई-पास का उपयोग किया जा सकेगा ताकि ट्रैवल हिस्ट्री का रिकार्ड उपलब्ध रहें एवं संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सके। इस हेतु आवागमन करने वाले समस्त यात्रीयों को प्रोत्साहित किया जाये कि वह ई-पास का स्वैच्छिक रूप से उपयोग करें।
- (3) आवागमन स्थलों जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अन्तरराज्यीय जांच चौकी, इत्यादि पर बिना ई-पास आवागमन करने वाले यात्रीयों से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के उद्देश्य से यह अनुरोध किया जाये कि वह ई-पास हेतु आवेदन करने के उपरान्त ही आगे यात्रा करें।
- (4) अन्तरराज्यीय आवागमन पर क्वारंटीन संबंधी निर्देश पूर्वानुसार यथावत प्रभावी रहेंगे। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।



(डॉ. कमलजीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक: 377-A /स.सा.प्र.वि./2020
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/08/2020

1. भारत सरकार के केबिनेट सचिव,
2. गृह सचिव, भारत सरकार,
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

5. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईट रायपुर,
6. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
10. समस्त विभागाध्यक्ष,
11. प्रमुख आयकर आयुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
12. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,
13. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, रायपुर,
14. महालेखाकार, ऑडिट/लेखा,
15. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
16. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,
17. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/ राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
18. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग